# कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-75/2016-17/

दिनांक : / 03/2017

**सेवा में,**

**मुख्य नगर अधिकारी,**

**नगर निगम - रूद्रपुर,**

**जनपद- उधमसिंहनगर**

**विषय : नगर निगम - रूद्रपुर, का वर्ष 2015-16 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में 02 प्रस्तर तथा भाग-4 (ब)-2 में 6 प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय**

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-75/2016-17/ दिनांक : /03/2017

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :**

1- सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट, देहरादून।

3- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आडिट), द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय**

## कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

**भाग-एक**

**वर्ष 2015-16 के लिये नगर निगम - काशीपुर, पर निरीक्षण प्रतिवेदन**

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत शहरी निकाय अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

| | | |
|---|---|---|
| श्रीमती सोनी कोली | - | मेयर |
| श्रीमती दीप्ति वैश्य | - | मुख्य नगर अधिकारी |

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम — श्री अशोक कुमार सिन्हा, व.ले.प.अ.
श्री एल.एस.लिंगवाल, स.ले.प.अ
श्री नित्यानन्द सिंह, स.ल.प.अ
श्री मनोहर सिंह, ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 11.12..2016 से 04.01.2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि:- वित्तीय वर्ष 2015-16

## भाग-दो

**परिचयात्मक :**

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **नगर निगम रुद्रपुर**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या : -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र : 12.43 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 154554

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्याः 20
3. (अ) न0प0प0 द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः

(ब) उपसमितियों,स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

4. बैठक :
5. कर्मचारियों की संख्या : 91
6. पंचायतराज की सम्पतियां :- दुकाने, पार्किंग स्थल इत्यादि।
7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -
8. योजनाओं की संख्या :-
9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : विवरण सलंग्न
11. वर्ष के दौरान कुल व्यय :-बजट में उपलब्ध कराया गया

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गयाः

**भाग-4 (अ)**

**(क) परिचयात्मकः**- कार्यालय **नगर निगम रुद्रपुर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2015-16 की सम्प्रेक्षा श्री असोक कुमार सिन्हा, व.ले.प.अ., श्री एल.एस.लिंगवाल स.ले.प.अ. व श्री नित्यानन्द सिंह स.ले.प.अ. तथा श्री मनोहर सिंह द्वारा दिनांक 11.12.2016 से 04.01.2017 कर सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया।

| **लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0** | **प्रस्तर भाग-4 (ब)-1** | **प्रस्तर भाग-4(ब)II** | **STAN** |
|---|---|---|---|
| AIR-62/ 2015-16 | प्रस्तर- 1,2,3 | प्रस्तर 1 से 4 | 01 |

| **प्रतिवेदन संख्या वर्ष** | **भाग प्रस्तरों की संख्या** |
|---|---|

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर -

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची-

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख- (1) विगत लेखापरीक्षा आख्या प्रतिवेदन की अनुपालन आख्या।

(2) नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी की अनुपालन आख्या।

## भाग–4(ब) I

**प्रस्तर–1 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का अनुपालन न किया जाना।**

नगरीय ठोस अवशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2000 के अनुसार, प्रत्येक नगर निगम/नगरपालिका परिषद नगरीय ठोस अवशिष्टों के निपटान हेतु उसका संग्रहण, पृथ्थकरण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए उत्तरदायी होगा। नियम4(2) के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा, जिसमें भूमि ऋण भी है स्थापना के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

लेखा परीक्षा में यह पाया गा कि उक्त विषय पर क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदुषण नियंत्रण, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 3782–705 दिनांक 21/11/2012 द्वारा प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु नगर निगम, रूद्रपुर से आग्रह किया गया था अन्यथा पालिका के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित था।

राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 29/02/2016 में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी साथ ही पालिका ने ना तो ट्रेंचिग ग्रांउड का विकास किया था ना ही प्रसंस्करण एवं निस्तारण की प्रकिया का पालन किया था।

उक्त कमियों की वजह से बोर्ड द्वारा नियम के अर्न्तगत प्रदत्त प्राधिकार प्रदान करने हेतु नगर पालिका का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही नगर पालिका को 30 दिनों के भीतर आवश्यक नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त दिशा निर्देशों के अवलोकन में यह पाया गया कि नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा लेखा परीक्षा तिथि तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्ष में इंगित जाने पर पालिका ने यह बताया कि ट्रैचिंग ग्राउण्ड न होने के कारण प्राधिकार पत्र रिजेक्ट हो गया था, वर्तमान में शासन द्वारा ट्रैंचिग ग्राउण्ड हेतु भूमि स्वीकृत कर दी गयाी है, जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि ठोस अपशिष्ट/कूड़ा शहर से एक किलोमीटर दूरी पर ही डाला जा रहा था जिससे कल्याणी नदी में प्रदूषण भी बढ़ रहा था। प्रदूषण बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 में ही प्राधिकार पत्र नियमानुसार प्राप्त करने को कहा गया था और चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी नगर पालिका द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–4(ब) I

**<u>प्रस्तर–2</u> व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक भवनों पर आरोपित करों में से ` 122.85 लाख की वसूली का लंबित रहना।**

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (जो उत्तराखण्ड में भी लागू है) के अध्याय 5 की धारा 128(1) के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में स्थित भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर अधिरोपित कर समय से वसूली किया जाना आवश्यक होता है। जिससे कि निगम की आय में वृद्धि हो सके तथा उस धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सके।

इकाई के गृह कर वसूली से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगर–निगम द्वारा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले रिहयासी भवनों व व्यावसायिक भवनों पर अधिरोपित कर को समय पर वसूली न किये जाने के कारण संलग्न सूची के अनुसार ` 122.85 लाख की धनराशि वर्तमान तक वसूली हेतु लंबित पड़ी हुई थी।

संलग्न सूची से स्पष्ट हो रहा है कि हाउस टैक्स की वसूली मात्र 41 प्रतिशत ही की गई थी जबकि व्यावसायिक भवनों की वसूली कुल वसूली योग्य धनराशि के मात्र 34 प्रतिशत थी। जो कि बहुत कम थी।

इस संबंध में यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून ने अपने पत्रांक/760/श0वि0नि0–1213/अधि0नि0–2008/2014 दिनांक 17 जुलाई 2014 के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नगर निकायों द्वारा आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय।

इस संबंधमें लेखा परीक्षा का ध्यान इस ओर दिलाये जाने पर इकाई का कहना था कि वसूली न हो पाने वालों के खिलाफ नोटिस की कार्यवाही की जा रही हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नही है, क्योकि गृह कर की वसूली नियमित रूप से की जानी चाहिए थी, ताकि प्राप्त धनराशि का उपयोग अन्य विकास कार्यों में किया जा सके।

अतः गृह कर के रूप में ` 122.85 लाख की वसूली लम्बित रहने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

## भाग–4(ब) II

**प्रस्तर–1 ` 2.00 करोड़ की धनराशि के उपभोग न किये जाने के उपरान्त भी शासनादेशों के विपरीत अगली किश्त को अवमुक्त किया जाना।**

अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 469/XXVII (I)/2015 दिनांक 07 अप्रेल 2015 द्वारा 13 वें आयोग की संस्तुतियों के क्रम में गैर निष्पादनकारी राज्यों की कटौती से प्राप्त धनराशि ` 20.23 लाख पेयजल, मल–जल व्यवस्था ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन और स्ट्रीट लाईट आदि कार्यों हेतु एवं पत्रांक 884/ XXVII (I)2015 दिनांक 25 जुलाई 2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर ` 179.77 लाख उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने सामुदायिक सम्पत्तियों का रख–रखाव, सड़को फुटपाथों के निर्माण तथा कब्रिस्तानों और शमशानों के रख–रखाव, हेतु वर्ष 2015–16 में नगर–निगम रूद्रपुर हेतु सवंमित/अवमुक्त इस आशय के साथ किये गये थे कि 13वें वित्त से संबंधित धनराशि का उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र 15 मई 2015 तक एवं 14 वें वित्त की प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र 30 नवम्बर 2015 तक क्रमशः मेयर एवं मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से अवश्य भेजे जाने चाहिए थे, अवमुक्त धनराशि का समय से उपयोग करने हेतु शहरी विकास विभाग उत्तरदायी होगा। पूर्ण धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

इकाई के उपरोक्त धनराशि को व्यय करने संबंधी अभिलेखों की मांग करने पर ज्ञात हुआ कि अभी तक इकाई द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग नहीं किया गया था एवं न ही उक्त धनराशि को व्यय करने हेतु कोई योजना ही तैयार की गई थी।

आगे देखा गया कि उक्त धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के बावजूद भी शासनादेशों के निर्देशों के विपरीत वर्ष 2015–16 की द्वितीय किश्त (14वें वित्त की) भी दिनांक 16 जून 2016 को अवमुक्त की जा चुकी थी।

उक्त संबंधमें लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई का कहना था कि उक्त धनराशियों के उपभोग हेतु कार्ययोजना तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 13 वें वित्त एवं 14 वें वित्त की प्रथम किश्त की धनराशि को अवमुक्त हुए लगभग डेढ वर्ष से अधिक हो चुका था किन्तु अभी तक उक्त धनराशि का उपभोग नहीं किया गया था।

अतः ` 200.00 लाख की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने व उपभोग न करने के बावजूद भी अगली किश्ता अवमुक्त किए जाने संबंधी प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाया जा रहा है।

## भाग–4(ब) II

**प्रस्तर–2 ` 6.00 लाख की कार्य योजना स्वीकृत करने के पश्चात ` 17.89 लाख के निर्माण कार्य कराया जाना।**

किसी भी निर्माण कार्य को कराने से पहले उसके लिए कार्य योजना तैयार कर उसे बोर्ड बैठक एवं सक्षम अधिकारियों से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेना आवष्यक होता है।

इकाई के 13वें वित्त से संबंधित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा तीन अलग–अलग प्रकार के हाईटैक सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु ` 6.00 लाख की कार्य योजना स्वीकृत की गई थी। उक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदा दाता हिमालया इन्टर प्राइजेज को छः (6) शौचालयों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किए गए थे। फर्म द्वारा शौचालयों का निर्माण कर दिनांक 18 सितम्बर 2015 को बिल क्र0 120 टैक्स सहित ` 17,88,607 का बिल प्रस्तुत किया था।

प्राप्त कोटेशन एवं प्रस्तुत बिल (किए गए कार्य के) के अनुसार क्र0सं0–2 पर अंकित Hitech Gents Urine toilet हेतु Single partitiones के कोटेशन प्राप्त किए गए थे किन्तु निर्माण (बिल के अनुसार) Two partitiones के कराए गए थे जबकि निर्माण भी एक के स्थान पर तीन शौचालयों का कराया गया था। इसी प्रकार बिल में क्र0सं0 3(b) Ladies toilet Double partitions हेतु कोई कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया था किन्तु इस पर ` 3,38,700 का व्यय किा गया था। इस प्रकार ` 6.00 लाख की कार्य योजना स्वीकृति के पश्चात ` 17.89 लाख के शौचालय तैयार कराए थे एवं 3 के स्थान पर छः (6) शौचालय बना दिये गये थे।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु निविदाये 2 मई 2015 को आमंत्रित की गई थी जबकि 6 हाइटैक शौचालयों हेतु ` 17.89 (17,88,607/–) की स्वीकृति (टीप/आज्ञायें पक्ष में) 7 अप्रेल 2015 को ही ले ली गई थी, जो कि सफल निविदा दाता फर्म के कोटेशन (बिल) से हू/बहू मेल खा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के संबंध में लेखा–परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई का तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहना था किः

1– दरें एक–एक शौचालय की स्वीकृति कराई गई थी किन्तु जनता की मांग व अधिकारी की स्वीकृति के आधार पर दिए गए कार्यादेश के अनुसार भुगतान किया गया है।

2– निविदा से पहले धनराशि स्वीकृति के संबंधमें इकाई का कहना था कि सम्पूर्ण शौचालयों के पूर्ण होने के उपरान्त सम्पूर्ण भुगतान किया गया है एवं निर्माण कार्यादेश देने के उपरान्त कराए गए है।

जबकि एक अनय बिन्दु कि Single partition के स्थान पर Double partition के शौचालय के निर्माण कराने पर मूल्य में दुगुनी धनराशि व्यय करने संबंधी सवाल का इकाई द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया था।

इकाई के उपरोक्त उत्तर मान्य नहीं थे क्योकि कार्ययोजना व आमंत्रित कोटेशन के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराए जाने चाहिए थे। यदि जनता द्वारा मांग की गई थी तो इस संबंध में पुनः उच्च अधिकारियों से आदेश/स्वीकृति लेनी चाहिए थी जो कि नही ली गई थी।

अतः ` 6.00 लाख की कार्ययोजना के सापेक्ष ` 17.89 लाख के शौचालय बनवाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

## भाग–4(ब) II

**प्रस्तर–3 विभिन्न मदों के ठेकों से संबंधित वसूली ` 43.00 लाख का लम्बित रहना तथा वर्ष 2015–16 में विज्ञापन संबंधी ठेका न होने से कम से कम ` 7.00 लाख की क्षति।**

किसी भी स्थानीय निकाय की आय में उसकी निजी स्रोतों से आय जैसे विज्ञापन के ठेके, तह बाजारी, पर्किंग एवं झील इत्यादि के ठेकों से प्राप्त होने वाली धनराशि का मुख्य योगदान होता है।

इकाई के उक्त ठेकों से संबंधित अभिलेखों/पंजिका की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा विभिन्न वर्षों में दिए गए ठेको की धनराशि में से अभी भी निम्न विवरणानुसार धनराशि की वसूली अवशेष थीः–

### 1. तह बाजारी

| वर्ष | ठेकेदार का विवरण | ठेके की कुल धनराशि | वसूल की गई राशि (` लाख में) | वसूली हेतू अवशेष राशि (` लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | श्री जावेद अली पुत्र श्री नब्बू अली | 13.50 | 12.02 | 1.48 |
| 2012–13 | श्री रहीस अहमद पुत्र श्री शफी अहमद | 17.51 | 15.49 | 2.02 |
| 2013–14 | श्री इसरत अली पुत्र श्री अजगर अली | 20.00 | 18.50 | 1.50 |
| 2014–15 | मो0 जाकिर पुत्र श्री रईस अहमद | 20.08 | 13.70 | 6.38 |
| 2015–16 | श्री रईस अहमद पुत्र श्री असगर अली | 18.34 | 16.17 | 2.17 |
| | योग | 89.43 | 75.88 | 13.55 |

### 2. ठेका विज्ञापन

| वर्ष | ठेकेदार का विवरण | ठेके की कुल धनराशि | वसूल की गई राशि (` लाख में) | वसूली हेतू अवशेष राशि (` लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | श्रीमती कंवलजीत कौर पत्नी श्री समर सिंह | 3.21 | 2.17 | 1.04 |
| 2014–15 | श्री संजीव अरोरा पुत्र श्री चिमन लाल | 7.01 | 6.01 | 1.00 |
| 2015–16 | ठेका नही हुआ | – | – | – |
| | योग | 10.22 | 8.18 | 2.04 |

### 3. ठेका पार्किंग

| वर्ष | ठेकेदार का विवरण | ठेके की कुल धनराशि | वसूल की गई राशि (` लाख में) | वसूली हेतू अवशेष राशि (` लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | श्री शफीक अहमद पुत्र श्री सगीर अहमद | 16.51 | 15.68 | 0.83 |
| 2014–15 | श्री जुनैद खाँ पुत्र श्री वाजिद खाँ | 27.93 | 26.00 | 1.93 |
| | योग | 44.44 | 41.68 | 2.76 |

### 4. ठेका झील

| वर्ष | ठेकेदार का विवरण | ठेके की कुल धनराशि | वसूल की गई राशि (` लाख में) | वसूली हेतू अवशेष राशि (` लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1–11–13 से 31–10–14 | श्री अश्वनी सिंह, सिंह इन्टर प्राइजेज | 21.11<br>23.22<br>23.43 | 43.11 | 24.65 |
| 1–11–14 से 31–10–15 | | | | |
| 1–11–15 से 31–10–16 | | | | |
| | योग | 67.76 | 43.11 | 24.65 |

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट हो रहा है कि उक्त ठेकों से संबंधित कुल ` (13.55+2.04+2.76+24.65) 43.00 लाख वसूली हेतु लंबित पड़े थे। आगे देखा गया कि झील संबंधी ठेका वित्तीय वर्ष के हिसाब से न होने के कारण पंजिका के रख–रखाव में भी परेशानी उत्पन्न हो रही है।

इस संबंध में लेखा–परीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई का कहना था कि वसूली हेतु नोटिस जारी किए जा रहे है। जबकि विज्ञापन संबंधी ठेका वर्ष 2015–16 के न होने के संबंध में इकाई का कहना था कि कोई टेण्डर प्राप्त न होने के कारण ठेका नहीं हुआ।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास इकाई द्वारा नही किए जा रहे थे। जबकि वर्ष 2015–16 के विज्ञापन संबंधी ठेका नहीं होने के कारण इकाई को कम से कम (विगत वर्ष का ठेका) ` 7.01 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था।

अतः ` 43.00 लाख की ठेके संबंधी वसूली एवं 15–16 में विज्ञापन संबंधी ठेका न होने से कम से कम ` 7.00 लाख के नुकसान संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

## भाग–4(ब) II

**प्रस्तर–4(अ) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 30(4) का उल्लंघन कर ` 268.91 लाख की अनुमानित लागत के निर्माण/मरम्मत कार्यों का कराया जाना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 30(4) के अनुसार ` 10,00,000/– से अधिक अनुमानित लागत के समस्त मूल निर्माण तथा मरम्मत कार्य लोक निर्माण संगठन द्वारा ही क्रियान्वित किए जाएंगे।

नगर निगम रूद्रपुर द्वारा राज्य वित्त आयोग निधि से कराये गये निर्माण संबंधी पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि इकाई द्वारा 16 निर्माण कार्यों का (संलगंक 'क' के अनुसार), जिनमें प्रत्येंक निर्माण/मरम्मत काय्र की अनुमानित लागत ` 10,00,000/– से ऊपर थी, को किसी लोक निर्माण संगठन से निर्माण/मरम्मत करवाने की बजाय खुद ही ठेकेदार के माध्यम से करवा लिया गया।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 30(4) के अनुसार ` 10,00,000/– से अधिक अनुमानित लागत के समस्त मूल निर्माण तथा मरम्मत कार्यों को लोक निर्माण संगठन द्वारा ही क्रियान्वित कराया जाना चाहिए था। इस संबंध उत्तराखण्ड शासन ने भी अपने पत्रांक संख्या 539/IV(1)/2014–02(25)/2013 दिनांक 09 जून 2014 तथा निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ने अपने पत्रांक–502/श0वि0नि0–1069 पी0आई0एल0–55/2013 दिनांक 09 जून 2014 के द्वारा समस्त नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित पत्र के माध्यम से यह बताया गया था कि शासन के संज्ञान में आया है कि राज्य के नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों में निर्माण कार्यों इत्यादि में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का समुचित अनुपालन नही किया जा रहा है। निदेशालय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि स्थानीय निकायों में सामग्री नियमों/प्रावधानों का प्राथमिकता के आधार पर कठोरता से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। परन्तु इकाई द्वारा इन नियमों का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

अतः इकाई द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 30(4) का उल्लंघन कर ` 268.91 लाख की अनुमानित लागत के निर्माण कार्यों को कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–4(ब) II

**प्रस्तर–4(ब) ` 1.50 लाख की सोलर लाइटों का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली के नियमों के विपरीत बिना वारंटी/गारंटी के करना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 2(6) आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण के बिन्दु क्रमांक–2 के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के सामग्री आपूर्ति के पश्चात (जिस सामग्री की आपूर्ति की जानी है) दी जाने वाली सेवाओं वित्तीय पृष्ठभूमि आदि का सत्यापन किया जाना चाहिए।

साथ सामान्य नियमानुसार भी खराब होने वाली प्रकृति की निविदा/कोटेशन स्वीकृत करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के लिए वारंटी दी जा रही है या नहीं।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि इकाई द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाये जाने हेतु 5 सोलर लाईट (15 वाट) हेतु प्राप्त तीन कोटेशन में से न्यूनतम कोटेशन में हिमालय इन्टर प्राइजेज के (` 29995 प्रति LED ) थे किन्तु फर्म के कोटेशन में वारंटी संबंधी कोई भी बिन्दु (टिप्पणी) नहीं थी जबकि अन्य दो फर्मों क्रमशः यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स (` 31,800/– प्रति LED) द्वारा पेनल हेतु 25 वर्ष एवं बैटरी हेतु 5 वर्ष की वारंटी एवं सन्कोसिस्टम ( (` 34,000 प्रति यूनिट ) द्वारा पेनल हेतु 25 वर्ष एवं पूरे प्रोडक्ट हेतु 2 वर्ष की वारंटी दी जा रही थी।

आगे लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि उक्त कार्य हेतु फर्म से कितनी राशि धरोहर के रूप में जमा कराई जानी थी इसका उल्लेख न तों निविदा आमंत्रण –प्रपत्र में ही दी गई थी एवं न ही पत्रावली में इस संबंध में अनुबंध की शर्तों में ही इसका उल्लेख पाया गया था।

उक्त संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर कि सफल निविदादाता फर्म द्वारा वारंटी संबंधी कोई भी स्वीकृति न दिये जाने व द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से (बार्गेनिंग) दरे कम करने के संबंध में बात करने संबंधी बिन्दुओं पर इकाई का कहना था कि सफल निविदादाता की दरें कम होने के कारण एवं मौखिक रूप से 2 वर्ष की गांरटी देने संबंधी आश्वासन पर ही कोटेशन स्वीकृत किया गया था, जबकि द्वितीय न्यमनतम निविदादाता फर्म से इस संबंध में (नेगोशियेशन) कोई बात नही की गई थी।

इकाई का उत्तर मान्य नही था, क्योकि कोई भी आदेश या ठेका मौखिका रूप से नही दिया जाता है इस संबंध में सफल निविदादाता फर्म से लिखित में वारंटी ली जानी चाहिए थी।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि इसी प्रकार के एक प्रकरण (एल0ई0डी0 लाइटों के क्रम से संबंधित) में मैं वी0के0 इण्डस्ट्रीज किच्छा द्वारा पूर्ण भुगतान न करने के संबंध में कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है (24–05–2014) जबकि अधिकांश लाइटे बंद पड़ी हुई थी।

अतः बिना वारंटी व नियमों के विपरीत ` 1.50 लाख की लाइटों के क्रय करने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा है।

## भाग–4(ब) II

**प्रस्तर–5 इकाई द्वारा ` 2.49 लाख का निष्फल व्यय किया जाना।**

नगर निगम रूद्रपुर, जनपद–ऊधम सिंह नगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए भुगतान संबंधी लेखा अभिलेखों की जाँज में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्त वर्ष 2012–13 में पालिका निधि/राज्य वित्त आयोग निधि से ` 10,47,000/– की अनुमानित लागत से छठ पूजा स्थल तीन पानी में विकास कार्य (वार्ड नं. 4) कराया जाना था। इकाई द्वारा मैसर्स तराई कन्सट्रक्संस रूद्रपुर का निर्माण कार्य हेतु न्यूनतम निविदा (` 10,45,953/– ) देने के आधार पर चयन किया गया। इकाई द्वारा मैसर्स तराई कन्सट्रक्संस रूद्रपुर के साथ दिनाँक 31.10.2012 को निर्माण कार्य हेतु अनुबंध किया गयां अनुबंध पत्र के निमय एवं शर्तों के अनुसार कार्य को 6 माह में पूर्ण किया जाना था। कार्य समय पर पूर्ण न करने की स्थिति में ` 20/– प्रतिदिन की दर से हर्जाने का भी प्रावधान था।

इकाई के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार के साथ निर्माण कार्य हेतु अनुबंध होने के 04 वर्ष बाद भी निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण है जबकि अनुबंध की शतों के अनुसार कार्य को 6 माह में पूर्ण किया जाना था। आग्र जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण न होने के बावजूद मैसर्स तराई कन्स्ट्रक्संस रूद्रपुर को ` 2,48,575/– (Vr. No. 23, Cheque No. PL7500805308150022 dated 18/08/2015) का भुगतान कर दिया गया।

इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदार को केवल अंशिक भुगतान किया गया है। इकाई ने यह भी बताया कि कार्य के निर्माण पर विवाद के कारण देरी हुई है तथा कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदार के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नही है क्योकि अनुबंध पत्र के नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य को 6 माह में पूर्ण किया जाना था। कार्य समय पर पूर्ण न करने की स्थिति में ` 20/– प्रतिदिन की दर से हर्जाने का भी प्रावधान था जबकि इकाई द्वारा ठेकेदार पर कोई हर्जाना नहीं लगाया गया। निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले ही इकाई द्वारा सभी विवादों का निबटारा किया जाना चाहिए था। निर्माण कार्य पूर्ण न हाने के बावजूद भी इकाई द्वारा ` 2,48,575/– का निष्फल व्यय किया गया क्योंकि उपरोक्त लिखित निर्माण कार्य आतिथि तक विवाद के कारण अपूर्ण है तथा जनहित में उसका काई उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः इकाई द्वारा ` 2,48,575/– के निष्फल व्यय किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–4(ब) II

**प्रस्तर–6 ` 11.00 लाख के किराये की धनराशि की वसूली का लंबित रहना।**

दुकाने किसी भी निकाय की महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति होती है जिनसे प्राप्त होने वाला किराया उस निकाय/निगम की आय का मुख्य स्रोत होता है, इस हेतु किराये की वसूली नियमित रूप से किया जाना अति आवश्यक होता है, ताकि प्राप्त धनराशि का उपयोग अन्य सम्पत्ति के निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों पर किया जा सके।

नगर निगम रूद्रपुर की दुकानों से संबंधित अभिलेखों की एवं किराए से संबंधित पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 के अंत तक विभिन्न क्षेत्रों में स्थित इकाई की दुकानों से निम्न विवरणानुसार किराया वसूली लंबित थीः

| क्र0 | क्षेत्र जहां दुकाने स्थित है | दुकानों की संख्या | व्सूली हेतु विगत वर्षों की अवशेष धनराशि | वर्ष 2015–16 की मांग | कुल वसूली योग्य राशि | वसूली गई धनराशि | वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गल्ला मण्डी | 12 | 17,964 | 1,35,549 | 1,53,513 | 1,25,613 | 27,900 |
| 2 | काशीपुर रोड | 60 | 3,64,890 | 4,39,665 | 8,04,555 | 5,91,690 | 2,12,865 |
| 3 | काशीपुर वाइपास रोड़ | 24 | 2,46,918 | 2,17,114 | 4,64,032 | 1,68,597 | 2,95,435 |
| 4 | प्रिंस होटल | 47 | 1,43,817 | 4,15,173 | 5,58,990 | 4,17,829 | 1,41,161 |
| 5 | गुरू नानक स्कूल के सामने | 17 | 42,338 | 1,69,480 | 2,11,818 | 1,36,296 | 75,522 |
| 6 | सब्जी मण्डी आढत स्थित दुकानें | 22 | 58,764 | 59,786 | 1,18,550 | 76,762 | 41,788 |
| 7 | सब्जी मण्डी | 98 | 1,43,709 | 1,96,018 | 3,39,727 | 2,14,060 | 1,25,667 |
| 8 | सीर गोटिया | 23 | 42,338 | 1,69,480 | 2,11,818 | 1,36,296 | 75,522 |
| 9 | सब्जी मण्डी फड़ | 70 | 18,313 | 65,774 | 84,087 | 8,384 | 75,703 |
| 10 | काशीपुर रोड़ खो–खो | – | 18,958 | 32,284 | 51,242 | 21,632 | 29,610 |
| | योग | 373+ | 10,98,009 | 19,00,323 | 29,98,332 | 18,97,159 | 11,01,173 |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि इकाई की दुकानों के किराये से कुल वसूली योग्य धनराशि के 37 प्रतिशत धनराशि अभी भी वसूली हेतु लम्बित पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा गया कि वसूली हेतु संबंधितों को नोटिस जारी किए जा रहे है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि किराये की वसूली नियमित रूप से की जानी चाहिए थी।

अतः दुकानों की किराये ` 11.00 लाख की वसूली लंबित रहने संबंधी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।